

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

// आदेश //

**11 AUG 2015**

नया रायपुर दिनांक 05 अगस्त, 2015

क्रमांक एफ 4-119/सात-1/2015- राज्य शासन, एतद द्वारा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकर अधिनियम, 2013 के अध्याय-7 की धारा 50 की उपधारा (1) के अंतर्गत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने या उनकी मानीटरिंग करने के लिए, निम्नांकित राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति का गठन किया जाता है:-

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| (1) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन                                      | अध्यक्ष    |
| (2) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग                   | सदस्य      |
| (3) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग विभाग                  | सदस्य      |
| (4) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग               | सदस्य      |
| (5) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग               | सदस्य      |
| (6) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग             | सदस्य      |
| (7) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन विभाग           | सदस्य      |
| (8) प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | सदस्य सचिव |

2/ उक्त गठित समिति, जब भी आवश्यक हो, बैठक आयोजित कर सकेगी। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आवश्यक होने पर, किसी अन्य सदस्य तथा प्रख्यात विशेषज्ञ को नामांकित कर सकेगी।

3/ यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,  
तथा आदेशानुसार,

32.  
(पी.निहोसानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

.....02

11 AUG 2015

नया रायपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2015

पृ0कमांक एफ 4-119/सात-1/2015

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक मान0मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान0मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
6. सर्व संबधित प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग/उद्योग विभाग/खनिज साधन विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक निर्माण विभाग/ नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
7. संभागीय आयुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़।
8. समस्त कलेक्टर, जिला..... छत्तीसगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशन कराने हेतु।
10. गाड फाईल हेतु।

प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग